कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 512 दिनांक : 02.08.2019

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :— जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6994/2014) खण्डेला से हलावनी तक सड़क निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 114 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :— आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17—18 9442—44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :—

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2..05 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.05 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 2,64,758/— (2.05 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.05 है0 X 164100/— रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 336405/— रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्परेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.05 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये— 12.833 लाख (2.05 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये— (2.05 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1283300/— केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्परेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सख्या 8 की अनुपालन में सड़क के दोनों तरफ व मध्य में वृक्षा रोपण का प्रावाधान परियोजना के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है। अतः सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाना सम्भव नही है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।

(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Khandela to Halawani under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6994/2014 (2.05 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

Offic Letter New _31

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Khandela to Halawani under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6994/2014 (2.05 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Khandela to Halawani under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6994/2014 (2.05 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्त्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169940786
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/6/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1619705/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred and Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169940786 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169940786
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/6/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1619705/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred and Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169940786 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment Done by
T.V No - 3747
23/4/19

उपकोषाधिकारी
शाहाबाद (जिला-बारां)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169940786
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/6/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1619705/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred and Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169940786 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169940786
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/6/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1619705/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred and Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169940786 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

T.V No - 3747
23/4/19

उपकार्यकारी
शाहबाद (जिला-बारां)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक : 02.08.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Khandela to Halawani under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6994/2014 (2.05 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि खण्डेला से हलावनी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निमार्ण में किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 									दिनांक : 02.08.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Khandela to Halawani under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6994/2014 (2.05 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है। अतः सड़क के दोनों तरफ वक्षारोपण किया जाना सम्भव नही है।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

(आर. के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Khandela to Halawani under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6994/2014 (2.05 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 720–26 दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

— आदेश :—

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/5614–20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14–15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/एफ–4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528–29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.–3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है0	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व/2014/ 720–26 दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावें।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां

Land to be allotted to Forest Department

1529

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगाव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
	New Cases					
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावड़ा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/0 से घुआ	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	SBD ~~Kishanganj~~	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बमनगवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डांग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिल माथुर)
अधीक्षण अभियंता
सा०नि०वि० वृत्त बांरा

D:\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September__2014\Forest\Copy of forest_information__17 Coloums_Circle Baran_11.09.2014

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 513 दिनांक : 2.8.2019

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजन के तहत खण्डेला से हलावनी तक सड़क निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 114 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु। (Proposal No. FP/RJ/ROAD/6994/2014)

प्रसंग :– श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.14 ( )2014/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/2559 दिनांक 15.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में दर्शायी कमियों का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालना में केम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार से स्वीकृति व साख सीमा माह अप्रैल–2019 में प्राप्त हुई। इस कारण पालना प्रस्तुत करने में देरी हुई।
2. (i) जिला कलक्टर के आदेश में कुल 103.40 है0 भूमी आवंटित की गई है। जिसमें उक्त विषयांकित सड़क के लिए 2.05 है0 का आवंटन खसरा संख्या 115 कुल रकबा 9.58 है0 में से किया गया है। कुल आवंटित 103.40 है0 गैर वन भूमी में से सभी परियोजनाओं के लिए वांछित भूमी का आवंटन करने के पश्चात् भी 12.0117 भूमी अधिशेष है। परियोजनावार उक्त विवरण संलग्न है।

   (ii) गैर वन भूमी की जमा बंदी एवं कब्जा हस्तान्तरण की प्रति आपके कार्यालय से संलग्न की जानी है।
3. प्रस्ताव में शर्ता संख्या 7 के अनुसार मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है, सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। इस सन्दर्भ में अण्डरटेकिंग संलग्न है।
4. शर्त संख्या 8 के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रोजेक्ट के एस्टीमेट में सड़क के दोनों ओर एवं मध्य में वृक्षारोपण की कोई प्रावधान नही लिया गया है। अतः वृक्षारोपण करना सम्भव नही है। इस सन्दर्भ में अण्डरटेकिंग संलग्न है।
5. यूजर एजेन्सी की पालना रिपोर्ट संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 513 दिनांक : 2.8.19

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त बारां को सूचनार्थ प्रेषित है।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

DETAIL OF PRPOSAL WISE AND KHASARA WISE ALLOTED NON FOREST LAND

SN	PROPOSAL NO.	ROAD NAME	DETAIL OF DISTRIBUTION OF NON FOREST LAND				TOTAL AREA FOR FCA (In Hect.)
			KHASRA NO OF ALLOTED LAND	AREA (In Hect.)	KHASRA NO. OF ALLOTED LAND	AREA (In Hect.)	
1	6998	Uni-Kedarkui Road to SILORA	39	3.9			3.90
2	6996	Bhanwar garh to Ranwasi	39	2.5			2.50
3	7000	Goedhanpura to kali mati	39	2.98			2.98
4	6991	GARDA TO JAISWA	39	3.82	43	0.16	3.98
5	6997	Kasbathana to Bamanganwa	43	4.84	42	0.36	5.20
6	6985	Karvari Khurd to Baman Deh	42	4.2			4.20
7	6988	Ramgarh-Kalapatta Roa to KARWALA @ LAXMIPURA	42	2			2.00
8	8746	Rajpura Behta road to Isatori	114	2.97			2.97
9	6992	Khyawada to Haripura	114	2			2.00
10	6956	Nehroopura to Jhiri	114	0.83	115	2.37	3.20
11	6954	JALWARA TO KISHANPURA	115	2.96			2.96
12	6994	KHENDELA TO HALAWANI	115	2.05			2.05
13	6990	MADHOPURA TO JETPURA	115	2.2	116	1.4	3.60
14	6995	NH-76 to Dhuwan	116	2.55			2.55
15	6999	DHIKONIYA TO TALAWARA	116	3.75	138	3.75	7.50
16	6955	KADEELI TO LATKHERA	138	2.79			2.79
17	7127	Mamli-Laxmipura @ Patpadi	138	1.14			1.14
18	6958	Bichi to Rampura Upreti	138	2.68			2.68
19	6982	GORDHANPURA TO GHATTA	368	2.22			2.22
20	6969	Baran Aklera NH-90	1175	8.913			8.913
21	9251	Kedarkui to Muhal	1175	4.3			4.30
22	6979	Kota Dharnawda road	1173	13.558			13.558
23	10911	Madna kheri road	1173	2.27			2.27
24	offline	Patri Bhatgoun	1173	1.5			1.50

Reserve Land 12.439

TOTAL LAND ~~90.9610~~ 103.40 Hect.

(आर. के. सोनी)
Executive Engineer
अधिशाषी अभियन्ता
PWD Division Shahabad
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Superintending Engineer
PWD Circle Baran

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा (व.र.))

2 नाका प्रभारी 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी 6/9/17

2 कानूनगो 6-9-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

FCA letter 18-4-17

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक [illegible]

2 नाका प्रभारी [illegible]

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी [illegible] वन अधिकारी [illegible] जि0 बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी [illegible]

2 [illegible] [illegible]

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगती है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी किशोर मीणा 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी अन्ता जि0 बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- ताखा

पटवार हल्का :- मानपुरा

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

तहसील :- अन्ता

जिला :- बाराँ

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 105

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00			
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

[illegible] का नाम :- सोरसन

पटवार हल्का :- सोरसन

भू.अभि.नि. :- सोरसन

तहसील :- अन्ता

जिला :- बाराँ

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 617

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गैं.मु.जंगल 19.1500	0.00			
1175	19.7600	गैं.मु.जंगल 19.7600	0.00			
1176	2.0000	गै.मु.जंगल 2.0000	0.00			
1177	18.6600	गै.मु.बरड़ा 18.6600	0.00			
[illegible]527	26.0000	गैं.मु.जंगल 26.0000	0.00			
1528	32.8500	गैं.मु.जंगल 32.8500	0.00			
1529	31.5000	गैं.मु.जंगल 31.5000	0.00			
1530	17.6000	गैं.मु.जंगल 17.6000	0.00			
1531	21.0000	गैं.मु.जंगल 21.0000	0.00			
1532	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1533	15.0000	गैं.मु.जंगल 15.0000	0.00			
1543	12.4900	गैं.मु.जंगल 12.4900	0.00			
1544	11.4500	गैं.मु.जंगल 11.4500	0.00			
1548	24.3600	गैं.मु.जंगल 24.3600	0.00			
1552	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1781	15.2600	गैं.मु.जंगल 15.2600	0.00			
1784	6.3100	गैं.मु.जंगल 6.3100	0.00			
[illegible]85	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1786	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1787	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1788	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1789	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1790	13.3400	गैं.मु.जंगल 13.3400	0.00			
1791	6.0000	गैं.मु.जंगल 6.0000	0.00			
1795	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1796	11.1000	गैं.मु.जंगल 11.1000	0.00			
1796/1968	0.9000	गैं.मु.जंगल 0.9000	0.00			
1797	8.0000	गैं.मु.जंगल 8.0000	0.00			
1798	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1799	7.5600	गैं.मु.जंगल 7.5600	0.00			
2136/1524	20.0600	गैं.मु.जंगल 20.0600	0.00			

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
[illegible] खण्ड शाहाबाद

	21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00
...6	16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
...176	16.0600	गै.मु.बरड़ा	16.0600	0.00
खसरे - 34	502.8500		502.8500	

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- बिलेण्डी

अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

जिला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 78

काश्तकार का नाम:-

1. उप वन सरक्षंक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.बरड़ा	5.8000	0.00			
115	9.5800	गै.मु.बरड़ा	9.5800	0.00			
116	7.7000	गै.मु.बरड़ा	7.7000	0.00			
138	10.8100	गै.मु.बरड़ा	10.8100	0.00			
149	3.6300	गै.मु.बरड़ा	3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.बरड़ा	13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरड़ा	5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरड़ा	6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

WINGED BEAUTIES: These butterflies are from Hesperiidae family

a medium-sized butterfly with a 40-46mm wingspan. The upper side being bright golden-yellow, forewing with a discal series of four semi-transparent black-bordered spots, a well-defined black spot beneath the cell near the base; exterior margin and cilia blackish, the latter white at the posterior angle, hindwing with a semi-circular sub-marginal series of black spots and two similar inner discal spots. The exterior is margin black, cilia alternate black and white. Thorax, body and legs yellow; Antennae yellow, tip black; hind wings and body covered with long modified hairs.

Another small-sized butterfly identified as the Desert Spotted Small (Sarangesa purendra) or the spotted Small Flat is a small butterfly, 25-35 mm in size. As per Kehimkar (2016), the butterfly is distributed in Gujarat (Kachh), Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, and Uttarakhand.

A Road Surcharge of ₹ 2.00 will be applicable on this edition for all locations except Alwar, Jodhpur, Kota and Udaipur. This Surcharge will be in addition to the regular cover price printed on the masthead

'One of best data sharing projects'

▶Continued from Page 1

Jaipur: Sumit Dookia, an assistant professor at University School of Environment Management, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, said that the birds are tagged under the Mongolia Cuckoo Project, which is a collaboration between the Wildlife Science and Conservation Centre in Mongolia, the British Trust for Ornithology and Birding, Beijing, and supported by Oriental Bird Club. "It's one of the best data sharing projects. Following the migration pattern, we can learn the cuckoo has flapped to Rajasthan for consecutive years. Collecting scientific data and tracking migration path of the bird, we can learn more about their journeys."

JODHPUR PLUS
A four page supplement is being circulated alongwith today's issue of
The Times of India
&
The Economic Times
in Jodhpur City

UDAIPUR PLUS
A four page supplement is being circulated alongwith today's issue of
The Times of India
&
The Economic Times
IN UDAIPUR CITY

*MRP (incl. of all taxes), transportation and cooling charges included. Conditions apply. For any clarification/ availability please contact us on: Jaipur: 9352623453

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/06/2015/एफ.सी./218

सेवा में,

दिनांक : 04.08.2016

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाईन आवेदन संख्या – FP/RJ/Road/6994/2014

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत खंडेला से हालावानी तक सड़क निर्माण हेतु 2.05 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 114 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ14 (Baran Road)/2014/ एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1981, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक 23 फरवरी, 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.03.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत खंडेला से हालावानी तक सड़क निर्माण हेतु 2.05 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 114 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.05 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 2,64,758/- (2.05 हे. x रुपये 1,29,150 प्रति हे.) जमा की जायेगी।
उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो प्रस्तावित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये 12.833 लाख (2.05 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे.) जमा की जायेगी।
इसके उपरान्त पालनी की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
6. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा सम्भवों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

उपरोक्त सभी शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। यथवा विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय
(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

पत्रिका ब्यूरो

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/06/2015/एफ.सी./218 दिनांक :- 04.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)

सिविल सचिवालय

राजस्थान शासन जयपुर।

<u>ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Road/6994/2014</u>

विषय :- जनपद बांरन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत खंडेला से हालावानी तक सड़क निर्माण हेतु 2.05 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 114 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक-एफ 14 (Baran Road)/2014/एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1981, दिनांक- 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक -23 फरवरी 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक :- 11.03.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई अनुपालना पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बांरन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत खंडेला से हालावानी तक सड़क निर्माण हेतु 2.05 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 114 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.05 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपया 2,64,758/- (2.05 हे.×**Rs.1,29,150** प्रति हे.) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल

ऊ-226024

j, Lucknow-

, 2324025

frolko@gmail.com

नांक :- 01.10.2018

88/2014

onstruction of road

Laxmipura under

यपुर, राजस्थान का पत्रांक-

-18.09.2018.

वन संरक्षक एवं नोडल

पत्रांक-एस.एम/एफ(

018 का आशय गृहण करने

(संरक्षण) अधिनियम, 1980

मांगी थी।

त्र दिनांक-12.07.2018 द्वारा

ख्या अति. प्रधान मुख्य वन

के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा

परांत मुझे आपको यह सूचित

प्रकरण हेतु 2.0 हे. संरक्षित

योग की सैद्धान्तिक स्वीकृति

नहीं होगा।

वित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर

हीं होगा।

ावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर
10 वर्षो तक रखरखाव हेतु
हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई

वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण
में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि
करने के पश्चात इस कार्यालय

यालय के रिट पिटीशन (सिविल)
रकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-
ादेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य
की ज[illegible]ी।
से जमा की गई धनराशि की
स्वीकृति की अनुपालन आख्या
अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण,
) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही

ाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत
हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण

न क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा
एगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी
में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे
bearing) भी लिखनी होगी।
सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980

था भविष्य में लागू सभी नियम,

करते हुए सम्बंधित प्रभागीय
80 के उल्लंघन के विषय में

सुस्पष्ट अनुपालन आख्या
र ही वन (संरक्षण) अधिनियम,

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

... वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये-12.833 लाख (2.05 **ha.xRs. 6.26 Lakh per ha.**) में जमा की जाएगी।

इसके उपरांत पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. /एन.एफ.टी (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। वह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, **Backword and Farword bearing** एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**NGT**) सैंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक -16.11.2015 में दिए गए आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता में अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा **Median** पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-**II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227** दिनांक - 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 1014 दिनांक : 28/10/2020

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6994/2014) खण्डेला से हलावनी तक सड़क निर्माण हेतु 2.05 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 114 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020–21/ 9321 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तो को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2..05 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.05 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 2,64,758/– (2.05 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2. 05 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 336405/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.05 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर के आदेश में कुल 103.40 है. भूमि आवंटित की गई है। जिसमें उक्त विषयांकित सड़क के लिए 2.05 है. का आवंटन खसरा संख्या 115 कुल रकबा 9.58 है. में से किया गया है। कुल आवंटित 103.40 है. गैर वन भूमि में से सभी पिरयोजनाओं के लिए वांछित भूमि का आवंटन करने के पश्चात् भी 12.0117 भूमि अधिशेष है। परियोजनावार उक्त विवरण संलग्न है।

शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 12.833 लाख (2.05 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.05 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1283300/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सख्या 8 की अनुपालन में सड़क के दोनों तरफ व मध्य में वृक्षा रोपण का प्रावाधान परियोजना के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।	संलग्न कर दी गई है।

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद